<u>विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर</u>

<u>प्रश्न</u>	<u>उत्तर</u>
8 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक संख्या-168/बीजेपी यूपी-2021 दिनांक 12-08-2021 जो कि ग्राम हरचन्दपुर कनौरा, तह0 सदर लखनऊ के गाटा संख्या-4,5,6,7,8,9 व 10 से अवैध कब्जा हटवाये जाने के संबंध मे था कब प्राप्त हुआ?	मा0 सदस्य का पत्र संख्या-168/बीजेपी/यूपी-2021 दिनांक 12-08-2021, अपर मुख्य सचिव, गृह उ0प्र0 शासन लखनऊ को सम्बोधित था, जो आवेदक डी0एन0 तिवारी द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 23-08-2022 के साथ संलग्न होकर दिनांक 29-08-2022 को तहसील सदर, लखनऊ में प्राप्त हुआ है।
(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे?	पुन: पैमाइश व कब्जा के दौरान जिलाधिकारी लखनऊ एवं पुलिस आयुक्त लखनऊ व राजस्व टीम के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने विषयक है।
(ग) उपरोक्त अवैध कब्जा हटवाये जाने के संबंध में अब तक कितने व किसके किसके पत्र प्राप्त हुए?	समन्वय शिकायत प्रणाली पोर्टल पर आवेदक डी0एन0 तिवारी द्वारा प्रेषित कुल 20 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है।
(घ) उपरोक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवाये जाने के विषय पर 2018 से 2022 तक मुख्य मंत्री आईजीआरएस पोर्टल पर कितनी शिकायतें दर्ज हुई?	आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर 11 शिकायते उपलब्ध है।
(ड़) यदि हॉ, तो अवैध कब्जा हटाने पर क्या कार्यवाही की गयी?	गाटा संख्या- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की स्थलीय व अभिलेखीय जांच की गयी। जिसमें मौके पर **<u>गाटा संख्या-4</u>** पर कच्ची व पक्की कब्रें पायी गयी व अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त नॉन जेड ए खतौनी वर्ष 1428 फ0 व गाटा संख्या-4 रकबा 5बि0 बंजर के नाम दर्ज है व 1359फ0 में खातेदार के नाम दर्ज है। **<u>गाटा संख्या-5</u>** में रकबा 17 बीघा 14 बिस्वां पर कच्ची पक्की कब्रें व सड़क की तरफ दुकानें व मकान निर्मित है। नॉन जेड ए खतौनी वर्ष 1428 फ0 में गाटा संख्या-5 बंजर

	के नाम दर्ज है तथा 1359 फ0 में **<u>गाटा संख्या-5</u>** खातेदार के नाम दर्ज है किन्तु इसकी नवैय्यत कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। **<u>गाटा संख्या- 6, 7 व 8</u>** पर वर्तमान में रौजा, कर्बला एवं इबादतखाना निर्मित है इसके क्रम में अवलोकनोपरान्त 1359फ0 व नॉन जेड ए खतौनी वर्ष 1428 फ0 के अभिलेखों में श्रेणी-5 के काश्तकार के नाम दर्ज है। **<u>गाटा संख्या-9, 10</u>** स्थलीय जांच में कच्ची व पक्की कब्रें पायी गयी व अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त 1359फ0 व नॉन जेड ए खतौनी वर्ष 1428 फ0 में श्रेणी-5 के काश्तकार के नाम दर्ज है। अवलोकन करने पर वर्तमान में स्थल पर आवेदक डी0एन0 तिवारी द्वारा क्रय की गयी भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे का विवाद है, जो कि सिविल प्रकृति का है। निजी पक्षों के मध्य निजी भूमि से संबंधित ऐसे प्रकरण जो सिविल प्रकृति के है, के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-72/2024/1290पी/छः-पु0-6-2024-6-6099/114/2023 दिनांक 21 जून 2024 में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रशासनिक हस्तक्षेप न किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है। अतः सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना समीचीन है।
(च) यदि नहीं, तो क्यों, किसकी लापरवाही के कारण नहीं हुई?	उपर्युक्तानुसार।
(छ) क्या सरकार उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवायेगी?	उपर्युक्तानुसार।
(ज) यदि हॉ, तो कब तक?	उपर्युक्तानुसार।
(झ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।